संख्या-36036/2/2007-स्था.(आर.) 110 अति तत्काल

Annex – 17

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

***

सेवा में, नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2007.

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय : एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों में संविधान और कानून की दी गई व्याख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करती प्रतीत होती है । उदाहरण के तौर पर उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं है । इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिछली बकाया रिक्तियों सहित एक वर्ष में आरक्षण के द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । उच्चतम न्यायालय ने एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कम अर्हक अंक/मूल्यांकन का कमतर स्तर अनुमत्य नहीं है । वीरपाल सिंह चौहान, अजीत सिंह तथा कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को उसके वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार से आरक्षण रोस्टर के नियम के आधार पर पहले पदोन्नत कर दिया गया हो और उसका वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार बाद में उक्त उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है तो सामान्य उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पहले पदोन्नत हुए उम्मीदवार से पुनः वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा ।

2. इन मामलों का समाधान करने के लिए संसद ने संविधान में चार संशोधन, नामतः 77वां संशोधन, 81वां संशोधन, 82वां संशोधन तथा 85वां संशोधन पारित किए हैं । इन संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई कि इनसे संविधान की मूलभूत संरचना परिवर्तित होती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज तथा अन्य बनाम संघ भारत तथा अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या-61/2002] मामले में इन चारों संशोधनों को सही ठहराया है । उच्चतम न्यायालय ने निम्न टिप्पणियों के साथ निर्णय को अंतिम रूप दिया:

2/

(11)

"उपर्युक्त आक्षेपकारी संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4क) तथा 16(4ख) अंतःस्थापित किए गए हैं, अनुच्छेद 16(4) से निःसृत हैं । इनसे अनुच्छेद 16(4) की संरचना परिवर्तित नहीं होती । इनमें पिछड़ापन तथा प्रतिनिधित्व की कमी जैसे नियंत्रात्मक तथ्य अथवा बाध्यकारी कारण बरकरार है जो सरकार को अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करने हेतु सक्षम बनाते हैं । ये आक्षेपकारी संशोधन केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है । इनसे इन्द्रा साहनी के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या के अनुसार 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक सीमा), क्रीमी लेयर सिद्धांत (गुणवत्ता संबंधी अपवर्जन) , एक तरफ अन्य पिछड़े वर्गों तथा दूसरी तरफ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच उप वर्गीकरण और आर.के. सब्बरवाल के मामले में प्रतिस्थापन की अंदरूनी संकल्पना के साथ पद आधारित रोस्टर की संकल्पना जैसी किसी संवैधानिक अपेक्षा का उल्लंघन नहीं होता है ।

"हम इस बात पर दोबारा जोर देते हैं कि 50 प्रतिशत की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा और अपरिहार्य कारण नामतः, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक क्षमता – ये सभी संवैधानिक अपेक्षाएँ हैं जिनके बिना अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का ढाँचा चरमरा जाएगा ।

"तथापि, जैसा कि इस मामले में कहा गया है, मुख्य मुद्दा 'आरक्षण की सीमा' से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में, संबंधित राज्य को आरक्षण की व्यवस्था करते समय प्रत्येक मामले में अपरिहार्य कारणों नामतः, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक क्षमता की मौजूदगी दर्शानी होगी । जैसा कि ऊपर कहा गया है, आक्षेपकारी प्रावधान एक समर्थनकारी प्रावधान है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के मामले में राज्य आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है । तथापि, यदि वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं तो राज्य को अनुच्छेद 335 का अनुपालन करने के अतिरिक्त, उस वर्ग का पिछड़ापन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले समुचित आँकड़े प्रदर्शित करने होंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि अपरिहार्य कारण होते हुए भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य को यह देखना होगा कि इसके द्वारा निर्धारित आरक्षण संबंधी प्रावधान से आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा का अतिक्रमण न हो अथवा क्रीमी लेयर का अभिलोपन न हो अथवा आरक्षण अनिश्चित काल तक के लिए न हो ।

"उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन, हम संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995, संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000, संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 और संविधान (पचासीवां) अधिनियम, 2001 की संवैधानिक वैधता को मान्यता प्रदान करते हैं ।"

3. इस विभाग ने सरकार के विधि अधिकारियों के परामर्श से इस बात की जाँच की है कि उपर्युक्त संदर्भित निर्णय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करता है अथवा नहीं । इस विभाग को सलाह दी गई है कि नागराज के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी केवल प्रासंगिक उक्ति है । यह इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की खण्डपीठ के निर्णय से निःसृत नहीं है तथा इसका उससे कोई सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता । उक्त निर्णय के अंतिम पैरा तथा अन्य भागों में क्रीमी लेयर का संदर्भ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है ।

4. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु को राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला दें ।

भवदीय,

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158.

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक मामले विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक मामले विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेलवे बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग ।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनके दिनांक 26.12.2006 के पत्र सं.-12/16/2006सी-सेल के संदर्भ में ।
9. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
10. भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफरमार्ग, नई दिल्ली ।